# PFMS द्वारा शुल्क वापसी का वितिरण

**[स्रोत: पी.आई.बी.]**

हाल ही में **[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)]** ने पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चिति करने के लिये **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के माध्यम से **[शुल्क वापसी निधि]** को सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में **इलेक्ट्रॉनिक** रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

## शुल्क वापसी क्या है?

**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75** के अंतर्गत शुल्क वापसी, निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी भी **आयातित सामग्री** या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लागू सीमा शुल्क में छूट प्रदान करती है।

- यह प्रणाली निर्यातकों को निर्यात प्रक्रिया के दौरान होने वाली कुछ लागतों, विशेष रूप से आपूर्ति या मूल्य शृंखला के अंतर्गत, को कम करने में सहायता करती है।

## सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)

- **परिचय:**
  - यह एक **वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर** एप्लीकेशन है जिसे **वित्त मंत्रालय** के **[लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय]** द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसे शुरू में वर्ष **2009** में **[योजना आयोग (नीति आयोग)]** द्वारा एक **[केंद्रीय क्षेत्र योजना]** के रूप में लॉन्च किया गया था।
- **PFMS का उद्देश्य:**
  - PFMS का व्यापक लक्ष्य एक **कुशल निधि प्रवाह प्रणाली और भुगतान-सह-लेखा नेटवर्क** की स्थापना करके एक मज़बूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।
  - वर्तमान में, PFMS में **केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के साथ-साथ **[वित्त आयोग]** अनुदान सहित अन्य व्यय भी शामिल हैं।
  - PFMS **डिजिटल इंडिया पहल** के अनुरूप हितधारकों को **वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली** तथा प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
  - यह प्रणाली देश की **कोर बैंकिंग प्रणाली** के साथ एकीकृत है, जिससे वित्तीय लेन-देन में बाधा नहीं आएगी तथा सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

## शुल्क वापसी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण का क्या महत्त्व है?

- **प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, प्रसंस्करण समय को कम करने, मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने और सीमा शुल्क परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये **शुल्क वापसी निधियों** का **इलेक्ट्रॉनिक** रूप से स्थानांतरण शुरू किया गया है।
- **कम कागज़ी कार्रवाई:** इससे भौतिक दस्तावेज़ीकरण और मैन्युअल प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे रिफंड का दावा करने के लिये आवश्यक समय तथा प्रयास कम हो जाता है।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली निर्यातकों को उनके दावों की स्थिति की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करके तथा रिफंड प्रक्रिया पर निर्बाध निगरानी रखकर **[पारदर्शिता]** को बढ़ाती है।
- **व्यापार सुविधा:** यह पहल, **[विश्व व्यापार संगठन]** के **व्यापार सुविधा समझौते (TFA)** के कार्यान्वयन पर आधारित, कागज़ रहित सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा के प्रति CBIC की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

## ???????????:

**प्रश्न1. फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ SEZ एक्ट, 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)**

1. अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं का विकास
2. विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन
3. केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से एक्ट का/के उद्देश्य है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (a)**

---

**प्रश्न2. "बंद अर्थव्यवस्था" वह अर्थव्यवस्था है जिसमें: (2011)**

(a) मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है
(b) घाटे की वित्त व्यवस्था होती है
(c) केवल निर्यात होता है
(d) न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है

**उत्तर: (d)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disbursal-of-duty-drawback-by-pfms